मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

क्रमांक - 2031/A-11/2024/नि.प्र.क/भोपाल भोपाल, दिनांक : 24/08/2024

//आदेश//

जिला स्तर पर निवेश को सुगम बनाने, निवेशकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं निवेश परियोजनाओं को क्रियान्वित/ स्थापित करने हेतु आवश्यक जिला स्तरीय अनुमतियाँ/ सम्मतियों/ अनुज्ञप्तियों को निर्धारित समयावधि मे प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था निर्मित करने हेतु राज्य शासन एतद द्वारा निर्देशित करता है कि –

1. प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में सुगोचर स्थान पर निवेश प्रोत्साहन केन्द्र (Investment Facilitation Center) की स्थापना की जाये।

2. निवेश प्रोत्साहन केन्द्र सुसज्जित कक्ष में स्थापित होगा जहाँ निवेशकों के बैठने हेतु उचित एवं सम्माननीय व्यवस्था एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अन्य आवश्यक सुविधाएं, संचार एवं संवाद के समस्त नवीन संसाधन उपलब्ध कराये जायें। कलेक्टर स्व-विवेक से जिले मे उपलब्ध उपयुक्त अधिकारियों, जो डिप्टी कलेक्टर स्तर से अनिम्न हो, को केंद्र के नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित करेंगे।

3. **केंद्र के नोडल अधिकारी के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे –**

3.1. केंद्र मे पधारे समस्त निवेशकों का जिला कलेक्टर से संवाद स्थापित कराना।

3.2. निवेश हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनुमतियाँ/ सम्मतियों/ अनुज्ञप्तियों का चिन्हांकन/ सूचीबद्ध करना।

3.3. निवेशक का आवेदन/ प्रकरण संबंधित विभागों को प्रेषित करना एवं पूर्ति/ समाधान कराकर वापिस प्राप्त करना।

3.4. निवेश परियोजना/ उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करना, जिनका निराकरण जिला स्तर पर निराकरण न संभव हो, को निवेश परियोजना की श्रेणी के अनुरूप उसे प्रमुख सचिव/ सचिव, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग/ विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग/ पर्यटन विभाग/ सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग आदि को समुचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित करना।

3.5. नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए जिले में उपलब्ध अविकसित शासकीय भूमि चिन्हांकित करना एवं चिन्हित भूमि को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग/ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग व अन्य विभागों को हस्तांतरित कराने हेतु जिला स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करना।

3.6. जिले में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों एवं इण्डस्ट्रीयल इको-सिस्टम की संकलित जानकारी रखना जिससे केंद्र मे आने वाले निवेशकों को जानकारी दी जा सके।

3.7. निवेश परियोजना के क्रियान्वयन मे आ रही बाधाओं को जिला कलेक्टर के ध्यान मे लाकर उसे जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

3.8. केंद्र मे निवेश परियोजनाओं के प्राप्त आवेदन/ प्रकरणों का सार एवं उनके निराकरन की अद्यतन स्थिति तैयार कर जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

4. जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का गठन -

निवेश प्रोत्साहन केंद्र को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने, केंद्र के कार्यकलापों की समीक्षा, केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रहे आवेदनों/ प्रकरणों/ समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं निवेश परियोजनाओ के सुगम क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन कलेक्टर की अध्यक्षता मे जिला स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय हेतु जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का निम्नानुसार गठन करता है:-

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	वन मंडल अधिकारी	सदस्य
3	कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. जिसकी अधिकारिता में जिला आता है, या उसका प्रतिनिधि जो उपसंचालक/महाप्रबंधक की पद श्रेणी से नीचे का नहीं होगा	सदस्य
4	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी	सदस्य
5	जिले की संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का वरिष्ठतम अधिकारी जिसके अधीन वह जिला आता है	सदस्य
6	जिला अधिकारी नगर एवं ग्राम निवेश	सदस्य
7	जिला अधिकारी, श्रम विभाग	सदस्य
8	उपायुक्त / सहायक आयुक्त, राज्य कर	सदस्य
9	क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल जिसकी अधिकारिता में जिला आता है	सदस्य
10	जिला अग्रणी प्रबन्धक, जिला अग्रणी बैंक जिसकी अधिकारिता में जिला आता है	सदस्य
11	जिला खनिज अधिकारी	सदस्य
12	आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य
13	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य
14	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रितगण	सदस्य
15	नोडल अधिकारी, निवेश प्रोत्साहन केंद्र	सदस्य सचिव

5. **समिति के दायित्व निम्नानुसार होगें –**

5.1. निवेश परियोजना/ उद्योगों के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अनुमतियां/ अनापत्तियां/ अनुज्ञप्तियाँ आदि को समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करना।

5.2. निवेश परियोजना/ उद्योगों की स्थापना से संबंधित समस्त प्रकार की अनुमतियां/ अनापत्तियां/ अनुज्ञप्तियाँ का नवीनीकरण को समय-सीमा में उपलब्ध कराना।

5.3. निवेश परियोजना/ उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करना जिनका निराकरण जिला स्तर पर निराकरण न संभव हो, के निराकरण के लिए राज्य शासन के संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना।

5.4. निवेश परियोजना/ उद्योगों की स्थापना संबंधी अनुमतियां/ अनापत्तियां/ अनुज्ञप्तियाँ आदि प्रदान करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु परामर्श एवं सुझाव देना।

5.5. निवेश प्रोत्साहनकेंद्र के सुगम संचालन हेतु समर्थन, यथा आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

5.6. निवेश परियोजनाओं को निश्चित समयावधि मे सेवा प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा अधिशासित अधिनियमों यथा म.प्र. उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम 2023 एवं म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 मे निहित प्रावधानों/ समयावधि के अनुरूप जिला स्तरीय सेवाओं का निर्धारित समयावधि मे प्रदाय सुनिश्चित करना।

5.7. निवेश प्रोत्साहन केंद्र के कार्यकलापों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण।

6. जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक माह अनिवार्यतः आहूत की जावे। आवश्यकता होने पर बैठक को माह मे एक बार से भी अधिक आहूत किया जा सकता है। बैठक में विगत माह प्राप्त आवेदन एवं उसके निराकरण की समीक्षा की जाएगी और समिति के दायित्वों के पालन में कार्यवाही की जाएगी।

7. समिति प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगी।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राघवेन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहनविभाग

पृ.क्र. 2032/A-11/2024/वि.स.क/भोपाल भोपाल,दिनांक : 24/08/2024

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, म.प्र.शासन, वन/ खनिज साधन/ श्रम/ पर्यटन/ नगरीय विकास एवं आवास/ पर्यावरण/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ वाणिज्यिक कर/ ऊर्जा/ सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संभागीय आयुक्त, भोपाल/ नर्मदापुरम/ इन्दौर/ उज्जैन/ ग्वालियर/ चम्बल (मुरैना)/ रीवा/ शहडोल/ जबलपुर/ सागर मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, एमएसएमई, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड भोपाल/ पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर/ पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर मध्यप्रदेश।
5. उप सचिव, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय,भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. भोपाल।
7. संचालक, संस्थागत वित्त, विध्यांचल भवन भोपाल।
8. संचालक, ग्राम एवं नगर निवेश, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल।
9. कलेक्टर समस्त मध्यप्रदेश।
10. परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय कार्यालय ---------------------------- मध्यप्रदेश।
11. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर/ भोपाल/ जबलपुर/ ग्वालियर/ रीवा/ उज्जैन/ नर्मदापुरम/ शहडोल/ सागर/ चम्बल (मुरैना), मध्यप्रदेश।
12. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ---------------------------- मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग